संख्या-**1/1314/14-3-13**-700(194)/2012

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2014

विषय:- भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध पर शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1181/20-1-8, दिनांक 29 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2014 द्वारा वन विभाग के महत्वपूर्ण जनोपयोगी पदों को भरे जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012, दिनांक 15.03.2012 द्वारा भर्ती पर लगाई गयी रोक से छूट प्रदान करते हुए, उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2014 में समूह 'ग' के उल्लिखित पदों में से क्रम संख्या-1-वन रक्षक, 2-वन्य जीव रक्षक, 3-वन दरोगा, 6-मानचित्रकार, 7-सर्वेयर, 10-प्रयोगशाला सहायक, 11-शोध सहायक व 12-उर्दू अनुवादक के कुल 1427 पदों को भरे जाने की सहमति निम्न शर्तों सहित प्रदान की जाती है:-

1- पदों के सृजन, उनकी शुद्धता व रिक्ति के विषय में आश्वस्त हो लेंगे।

2- मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

3- प्रकरण में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in